फर्द अहकाम

अज अदालत अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या 1,
किशनगढ अजमेर (राज0)

सरकार बनाम मनीष गुप्ता व अन्य
सेशन प्रकरण संख्या 33/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.08.2025	श्री दीपक दाधीच, विद्वान अपर लोक अभियोजक प्रार्थी/राज्य की ओर से उपस्थित। मुलजिमान अनुपस्थित, जिनकी हाजरी माफी पेश हुई जो जरिये अधिवक्ता आज के लिए स्वीकार की गई। बहस प्रार्थना पत्र दिनांकित 07.09.2024 सुनी गई। इस प्रार्थना पत्र की बहस में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/मुलजिम मनीष ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि हस्तगत प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी द्वारा निष्पक्ष जांच नहीं की गई है। इस संबंध में प्रार्थी द्वारा पुलिस अधीक्षक अजमेर को निष्पक्ष जांच के लिए निवेदन किया गया। जिस पर उन्होंने पूर्व अनुसंधान अधिकारी के अनुसंधान को गलत मानते हुए इस प्रकरण की जांच वरिष्ठ अधिकारी नेमीचंद जी डीएसपी से कराये जाने का आदेश दिया। परंतु पूर्व अनुसंधान अधिकारी ने आनन–फानन में जांच कर आरोप पत्र दिनांक 03.08.2024 को प्रस्तुत कर दिया। चूंकि प्रार्थी को हस्तगत प्रकरण में निष्पक्ष जांच करवाने का मौलिक अधिकार प्राप्त है एवं हस्तगत प्रकरण में सीसीटीवी फुटेज, जो अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं सुसंगत है, जिनके संबंध में अनुसंधान किया जाना शेष है। ऐसी स्थिति में यह प्रार्थना पत्र स्वीकार कर इस प्रकरण को अग्रिम अनुसंधान हेतु अनुसंधान अधिकारी को पुनः लौटाये जाने के आदेश प्रदान किए जावे। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त ने अपने तर्को के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए– 1- 2022-23(Suppl) Cr.L.R.(SC) 116 Anant Thanur Karmuse vs State of Maharashtra & Ors. 2- (1986) 1 AICLR 522 Bhagwant Singh vs Commissioner of Police And another 3- 2013 CRI. L.J 754 SC Vinay Tyagi vs Irshad Ali alias Deepak and Ors. इसके विपरीत विद्वान अपर लोक अभियोजन के उक्त तर्को का विरोध करते हुए प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया। हमने उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। साथ ही प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया। हस्तगत प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी द्वारा संपूर्ण अनुसंधान किए जाने जाने के पश्चात आरोप पत्र विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 03.08.2024 को प्रस्तुत किया गया है। जिस आरोप पत्र में विद्वान विचारण	

न्यायालय ने अपराध अंतर्गत धारा 307, 506, 34 भा.द.स. व 5/24 आयुध अधिनियम के अपराध का प्रसंज्ञान लेकर प्रकरण सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से इस न्यायालय को उपार्पित किया। यह प्रकरण इस न्यायालय को प्राप्त होने के पश्चात् इस न्यायालय ने इसे दर्ज रजिस्टर करने के आदेश दिये हैं। हस्तगत प्रकरण में थानाधिकारी/अनुसंधान अधिकारी पुलिस थाना किशनगढ़ द्वारा इस प्रकरण को अग्रिम अनुसंधान हेतु पुनः प्राप्त किए जाने का कोई प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। हस्तगत प्रकरण में संपूर्ण अनुसंधान पूर्ण कर आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है एवं विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आरोपित अपराधों का प्रसंज्ञान लेकर प्रकरण इस न्यायालय को उपार्पित कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में इस न्यायालय के मत में प्रार्थी/अभियुक्त मनीष गुप्ता की ओर से प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्र को इस स्तर पर स्वीकार करने के कोई न्यायसंगत आधार पत्रावली पर मौजूद नहीं है। अतः यह प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली वास्ते बहस चार्ज हेतु दिनांक.................... को पेश हो।

(संदीप आनन्द)